

6 <sup>3</sup>/<sub>24</sub>

अपीलॉर के अधिवक्ता के आर्तिना-पत्र पर पत्रावली सुनवाई हेतु ली गई। अधिवक्ता अपीलॉर द्वारा विद्वों आर्तिना-पत्र उद्धृत कर निवेदन किया कि लोक अदालत की सभावन से परामर्श में राजीनामा हो गया है तथा अपीलॉर वर अपील को विद्वों करना चाहते हैं। अतः अपील अपीलॉर जरिअ विद्वों निस्तारित किये जाने का आदेश प्रभाव।

अपीलॉर के अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त लक्ष्य एवं विद्वों आर्तिना-पत्र के आद्या पर अपील जरिअ विद्वों खारिज की जाने हैं। पत्रावली निर्वाचन सुनार होकर नक्कर से का ले व दाखिल सप्तर हो।

6/3/24

अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)